2025/149

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 14/2025 (राजसमन्द डिकी)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. कुलवन्त मेहता पिता चांदमल मेहता, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, हाल निवासी 14 मेन रोड़, मुनेश्वरा ब्लॉक, बैंगलोर, (कर्नाटक)
2. भंवरी देवी पत्नी उमरावसिंह मेहता, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. सुरेन्द्र कुमार पिता उमरावसिंह मेहता, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
4. ललित पिता उमरावसिंह मेहता, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
5. रंजना पुत्री उमरावसिंह मेहता, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
6. चन्दा बाई पुत्री चांदमल मेहता, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
7. शकुन्तला बाई पुत्री चांदमल मेहता, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
सत्यमेव जयते

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0
काश्त.अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ दि0
30.08.2024 प्रकरण सं. 91/2022

---/---

उपस्थित :– 1– श्री अनिल बागोरा अभिभाषक अपीलान्ट

---::---

निर्णय **दिनांक [illegible]–08–[illegible]25**

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:38 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय [illegible] हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 18[illegible]राजस्थान

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कामली, तहसील देवगढ़ में आराजी नंबर 630/178 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित है, जो वादी के सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की होकर वादी की सहखातेदारी में दर्ज है, जिस पर वादी का अपने बाप दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है, किन्तु भू–प्रबन्ध के दौरान बिना किसी आदेश के बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गयी, जबकि वादी आज भी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि बिलानाम दर्ज हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 वादी को कभी भी बेदखल कर सकते हैं। वादी पुनः भूमि अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। अतः वादी को आराजी नंबर 630/178 रकबा 5 बीघा का वादी को खातेदारी घोषित किया जावे तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के पिता का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 30–08–2024 से वादी का वाद स्वीकार कर आराजी नंबर आराजी नंबर 630/178 रकबा 5 बीघा भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को खातेदार घोषित कर राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–05–2025 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा [illegible] अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन [illegible] तहसीलदार के पद पर पदासीन है तथा तहसीलदार के [illegible] न्यायालय के कार्य के अतिरिक्त राजस्व संबंधी बहुत से राजकीय [illegible]ार्य होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:38 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

व्यस्त रहते हैं, जिससे उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

5. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अपील करीब 6 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए कोई उचित व पर्याप्त कारण नहीं बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए बताया कि वादी द्वारा अनुतोष केवल कब्जे के आधार पर चाहा गया है, जिसके संबंध में न तो मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी, न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत हुए तथा न ही तनकियां कायम की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है, जिससे अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

8. उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बताया कि विवादित भूमि सेटलमेन्ट के समय बिना किसी आदेश के बिलानाम दर्ज कर दी गया, जबकि सेटलमेन्ट विभाग को पूर्व इन्द्राज को ही रिपीट करना चाहिए था, इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार सेटलमेन्ट विभाग को नहीं है। प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाब प्रस्तुत किया गया है इसलिए तनकियां बनाने की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:38 IST
Reason: SelfAttested

9. हमने उक्त पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में मात्र यह अंकित किया है कि "पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

वादी पूर्व में खातेदार होकर काबिज था, जिसे सेटलमेन्ट विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में बतौर काश्तकार दर्ज नहीं किया गया एवं वादी की भूमि बिलानाम दर्ज कर दी गयी। मात्र उक्त आधार पर वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट तहसीलदार देवगढ़ को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

10. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–08–2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी का जवाबदावा लेकर एवं तनकियां कायम कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09–10–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 12–08–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

12.8.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:38 IST
Reason: SelfAttested